Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 142–2022/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, AUGUST 8, 2022 (SRAVANA 17, 1944 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 8th August, 2022

No. 23-HLA of 2022/ 72 /16016.— The Haryana Municipal Amendment) Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 23-HLA of 2022

THE HARYANA MUNICIPAL (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Act, 1973.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Haryana Municipal (Amendment) Act, 2022. Short title.

2. In section 2 of the Haryana Municipal Act, 1973 (hereinafter called the principal Act),- Amendment of section 2 of Haryana Act 24 of 1973.

(i) after clause (5A), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(5AA) “Chief Executive Officer” means an officer not below the rank of Extra Assistant Commissioner appointed by the State Government as Chief Executive Officer of the Municipal Council situated at district headquarter;’;

(ii) after clause (9A), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(9AA) “District Municipal Commissioner” means an officer not below the rank of Extra Assistant Commissioner appointed by the State Government as District Municipal Commissioner for monitoring and supervising the functions of the committees falling in his jurisdiction;’;

(iii) after clause (9B), the following clause shall be inserted, namely:-

'(9BB) "Divisional Commissioner" means the Commissioner of the Division in which the municipality is situated and includes any other officer appointed by the State Government to perform all or any of the functions of the Divisional Commissioner under this Act;'.

Amendment of section 69 of Haryana Act 24 of 1973.

3. In section 69 of the principal Act,-

(i) in clause (c) of sub-section (1), for the words and signs "as the State Government may, by notification, direct", the words and signs "as the State Government may, by notification, in respect of each committee, direct" shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st April, 2021.

(ii) for the words "The amount of the duty so collected shall be paid to the committee concerned" existing at the end of sub-section (1), the words and sign "The amount of the duty so collected shall be paid to the committee or on behalf of the committee to the Haryana Urban Infrastructure Development Board for the development of infrastructure in any area of the committee of the State as the State Government may determine, by notification" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st April, 2021.

Substitution of section 128 of Haryana Act 24 of 1973.

4. For section 128 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"128. Place/premises not to be used for certain purposes without licence.-(1) No person shall use or permit to be used any place/premises for the purpose specified by the State Government as dangerous to life, health or property or likely to create nuisance, without or otherwise than in conformity with the terms of a licence granted by the committee in this behalf.

(2) The Committee may impose such other conditions while granting licence, as it may deem necessary.

(3) Whoever without a licence uses any place/premises or contravenes any of the conditions of licence shall be punishable with imprisonment for a term upto six months or with a fine which shall not be less than one thousand rupees but not more than five thousand rupees and with a further fine of one hundred rupees for every day during which the offence is continued.".

Insertion of section128A in Haryana Act 24 of 1973.

5. After section 128 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

"128A. Prohibition of keeping animals or birds in the municipal area.– Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, no quadruped animals or birds shall be permitted to be kept and reared within the limits of committee:

Provided that cat or dog or bird may be kept as domestic pets in terms of the licence granted by the committee:

Provided further that cows or she-buffalos or any other milch animals or their young ones shall be allowed to be kept for domestic use in the villages falling in the outer periphery included in the limits of municipality:

Provided further that villages falling in the outer periphery included in the limits of committee and the period for keeping milch animals on the basis of change in demographic profile of such areas shall be decided by the concerned committee by way of resolution. The committee shall also provide reasonable time for rehabilitation of animals from prohibited area to permitted area by its resolution:

Provided further that the provisions of this section shall not be applicable in zones where such kind of activities are permitted as per the plan notified under the provisions of the Haryana New Capital (Periphery) Control Act, 1952 (Punjab Act 1 of 1953), the Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963) and the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973):

Provided further that the provisions of this section shall not be applicable to cattle pounds and gaushalas owned/managed by the committee or any other department of the Government including registered gaushalas.

Explanation.- For the purposes of this section,–

(i) "quadruped animals or birds" means animals or birds which are prohibited under any law for keeping and rearing;

(ii) "villages falling in the outer periphery" means and includes such villages or areas, as specified by the committee as per demographic profile;

(iii) "milch animals" means cow, she-buffalo, she-goat, she-camel etc. which are not prohibited under any law for keeping and rearing.".

6. Section 129 of the principal Act shall be omitted. Omission of section 129 of Haryana Act 24 of 1973.

7. Section 130 of the principal Act shall be omitted. Omission of section 130 of Haryana Act 24 of 1973.

8. After section 131 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:- Insertion of section 131A in Haryana Act 24 of 1973.

"131A. Fee and time period for licence.- Notwithstanding any provision of the Act or bye-laws made thereunder with regard to levy of fee by the Committee, for every licence, a fee may be charged at such rate and for such period, as may be specified by the State Government from time to time.".

9. In section 205 of the principal Act, for the word "Commissioner" wherever occurring, the words "Divisional Commissioner" shall be substituted. Amendment of section 205 of Haryana Act 24 of 1973.

10. For section 249 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:- Substitution of section 249 of Haryana Act 24 of 1973.

"249. Action of Deputy Commissioner to be immediately reported.- When the Deputy Commissioner makes any order under section 246 or section 247 or section 248 he shall forthwith forward it to the Divisional Commissioner a copy thereof, with a statement of reasons for making it with such explanation, if any, as the committee of such municipality may offer and the Divisional Commissioner may thereupon confirm, modify or rescind the order:

Provided that Divisional Commissioner may directly confirm, modify or rescind any resolution or order of Municipal Council of district headquarter after obtaining report from any officer authorized by him, if required:

Provided further that if an officer subordinate to the Deputy Commissioner under the delegated powers makes an order under section 246 or section 247 or section 248 in the case of a Municipal Committee, the power of confirmation, modification or rescission of such order shall vest in the Deputy Commissioner, who shall, before exercising such power, consider the explanation of the committee of such municipality which it may wish to offer and the Deputy Commissioner may thereupon confirm, modify or rescind the order.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. Government *vide* Notification No. 18/163/2020-3CI dated 07.08.2020 had created 20 posts of District Municipal Commissioners (except district Faridabad where no Municipal Council/Committee exists and Charkhi Dadri which has been clubbed with district Bhiwani) for administrative control & supervision over the working of Municipal Councils & Municipal Committees falling in the concerned districts.

2. It has been observed that the area & population of most of the Municipal Councils of District Headquarter have increased and accordingly the scope of work and monitoring/supervision thereof has also increased manifold. As such there is need for entrusting the overall charge of such Municipal Councils to a senior level officer who can handle/monitor the works of such Municipal Councils efficiently and in a time bound manner. At present, Executive Officer is the Head of Office in Municipal Council who is a junior cadre officer and it is difficult for him to manage proper liaison with the senior officers of District Administration as well as with the Government for disposal of municipal works in an efficient and time bound manner.

   Accordingly Government has decided that District Municipal Commissioner shall be designated as Chief Executive Officer of the Municipal Council of District Headquarter and concerned Divisional Commissioner shall be assigned the appellate as well as other powers which have been entrusted to District Municipal Commissioners, in case of Municipal Council of District Headquarter.

3. Presently, the posts of "Chief Executive Officer", "District Municipal Commissioner" and "Divisional Commissioner" are not defined in the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973). The word 'Commissioner' is provided for Divisional Commissioner under section 205 and 249 of the Act, 1973. On the other hand, the definition of Divisional Commissioner has been provided clearly under section 2 (11) of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. Similar provision is required to be incorporated in the Haryana Municipal Act, 1973.

4. Accordingly amendments are required to be made in the Act, 1973 for defining the posts of Chief Executive Officer, District Municipal Commissioner and Divisional Commissioner under clauses (5AA), (9AA) &(9BB) of section 2 respectively. The word 'Commissioner' is to be replaced by the words 'Divisional Commissioner' in section 205 of the Act, 1973. Further, section 249 of the Act, 1973 is required to be substituted for confirming, modifying or rescinding any resolution or order passed by the Municipal Council of District Headquarter, directly by Divisional Commissioner.

5. Stamp Duty was being released by the Directorate of Urban Local Bodies to Municipalities. Finance Department, Haryana *vide* U.O. No. 4/12/2016 dated 16.07.2020 had informed that two per centum Stamp Duty on account of registration of immovable properties situated in municipal areas will be transferred directly to Municipalities and Directorate of Urban Local Bodies, Haryana in equal share of one per centum to each. This procedure has been implemented with effect from 01.04.2021.

6. However, Principal Accountant General (Audit), Haryana in its Inspection Report dated 02.02.2022 has pointed out that the procedure for distribution of Stamp Duty by Directorate of Urban Local Bodies to Municipalities and to Directorate is not proper as the stamp duty is to be disbursed to the concerned municipality only as per the provisions of the Act.

   To remove this anomaly and to make these provisions consistent with the Government notifications issued in this regard, amendment in clause (c) of sub-section (1) of section 69 of the Haryana Municipal Act, 1973 is required.

7. The provisions of trade/business license have been made in the Haryana Municipal Act, 1973 on the pattern of Punjab Municipal Act, 1911. Municipality was the only Regulatory Authority at that time but now many Regulatory Authorities are in place such as Pollution Control Board, Industrial Safety & Health under the Factories Act, 1948 etc. Inflammable articles are also regulated under separate statute by the designated authority. As such, there is no justification to issue licences by the municipalities for such type of businesses which are regulated by other statutory authorities. Relevant Sections of the Haryana Municipal Act, 1973 provide the provisions relating to obtaining trade/business licenses and renewal thereof on yearly basis. Presently, Municipal Councils and Municipal Committees have the powers to fix rates of license fees after passing resolutions in their respective House Meetings. This practice has created anomalies in imposing trade license fees across the Municipal Councils and Municipal Committees of the State at variance with each other which is creating confusion among the public.

8. It is inevitable to create uniformity in the trade license fees throughout all the Municipal Councils & Municipal Committees in the State and also ensure uniformity in the applicability of trade licences by restricting it for the purposes which are specified by the Government as being dangerous to life, health or property or likely to create a nuisance. This will be helpful in easing business practices in urban areas by eliminating the multiplicity of regulating authorities. Further, the provision for restriction on keeping and rearing of animals or birds within the municipal limits is being made. As such amendments in sections 128, 129 and 130 of the Haryana Municipal Act, 1973 are required.

9. Hence, it is necessary to carry out amendments in the Haryana Municipal Act, 1973 (Act No. 24 of 1973) by way of enacting the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2022.

DR. KAMAL GUPTA,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 8th August, 2022.

R.K.NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 23 एच.एल.ए.

हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

**हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973,
को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 2 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,–

(i) खण्ड (5क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

'(5कक) ''मुख्य कार्यकारी अधिकारी'' से अभिप्राय है, जिला मुख्यालय पर स्थित नगर परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी, जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो;';

(ii) खण्ड (9क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

'(9कक) ''जिला नगर आयुक्त'' से अभिप्राय है, ऐसा अधिकारी, जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त की पदवी से नीचे का न हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा जिला नगर आयुक्त के रूप में उसकी अधिकारिता में आने वाली समितियों के कृत्यों की निगरानी तथा पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त किया जाए ;';

(iii) खण्ड (9ख) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

'(9खख) ''मण्डल आयुक्त'' से अभिप्राय है, मण्डल का आयुक्त, जिसमें नगरपालिका स्थित है तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन मण्डल आयुक्त के सभी या किन्हीं कृत्यों को करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है;'।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 69 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 69 में,–

(i) उप–धारा (1) के खण्ड (ग) में, ''जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे'' शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''जो राज्य सरकार, प्रत्येक समिति के संबंध में, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट करे'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे ;

(ii) उप–धारा (1) के अन्त में विद्यमान, ''इस प्रकार संगृहीत शुल्क की राशि सम्बद्ध समिति को भुगतान की जाएगी'' शब्दों के स्थान पर, ''इस प्रकार संगृहीत शुल्क की राशि,समिति अथवा राज्य की समिति के किसी क्षेत्र, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अवधारित करे, में अवसंरचना के विकास के लिए समिति की ओर से हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड को भुगतान की जाएगी'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किये जाएंगे तथा प्रथम अप्रैल, 2021 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 128 का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 128 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"128. अनुज्ञप्ति के बिना कतिपय प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किए जाने वाले स्थान/परिसर.– (1) कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हो या जिससे उपद्रव पैदा होने की सम्भावना हो, इस निमित्त समिति द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों की अनुरूपता के बिना या अन्यथा से किसी स्थान/ परिसरों का उपयोग नहीं करेगा या उपयोग करने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।

(2) समिति अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय ऐसी अन्य शर्तें अधिरोपित कर सकती है, जो यह आवश्यक समझे।

(3) जो कोई भी अनुज्ञप्ति के बिना किसी स्थान/परिसरों का उपयोग करता है या अनुज्ञप्ति की किसी भी शर्त की उल्लंघना करता है, तो छह मास तक की अवधि के कारावास या जुर्माने, जो एक हजार रूपए से कम नहीं होगा, किन्तु पाँच हजार रूपए से अनधिक होगा और अपराध के जारी रहने के दौरान प्रतिदिन के लिए एक सौ रूपए के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 128 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 128क का रखा जाना।

"128क. नगरपालिका क्षेत्र में पशुओं या पक्षियों को रखने का प्रतिषेध.— इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किन्हीं चौपाया पशुओं या पक्षियों को समिति की सीमाओं के भीतर रखने या पालने की अनुमति नहीं दी जाएगी :

परन्तु समिति द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसार किसी बिल्ली या कुत्ता या पक्षी को पालतू के रूप में रखा जा सकता है :

परन्तु यह और कि गायों या भैंसों या किन्हीं अन्य दुधारू पशुओं या उनके बच्चों को नगरपालिका की सीमाओं में शामिल बाह्य परिधि में आने वाले गाँवों में घरेलू उपयोग हेतु रखने के लिए अनुमत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि समिति की सीमाओं में शामिल बाह्य परिधि में आने वाले गाँवों तथा ऐसे क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय संरचना में परिवर्तन के आधार पर दुधारू पशुओं को रखने की अवधि, संकल्प के माध्यम से सम्बद्ध समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी। समिति अपने संकल्प द्वारा प्रतिबन्धित क्षेत्र से अनुमत क्षेत्र में पशुओं के पुनर्वास हेतु युक्तियुक्त समय भी प्रदान करेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के उपबन्ध उन जोनों को लागू नहीं होंगे, जहां हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1), हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) के उपबन्धों के अधीन अधिसूचित योजना के अनुसार इस तरह की गतिविधियां अनुमत हैं :

परन्तु यह और कि इस धारा के उपबन्ध, पंजीकृत गौशालाओं सहित समिति या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग के स्वामित्वाधीन/प्रबन्धनाधीन मवेशीखानों तथा गौशालाओं को लागू नहीं होंगे।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ''चौपाया पशु या पक्षी'' से अभिप्राय है, ऐसे पशु या पक्षी, जिन्हें किसी विधि के अधीन रखना या पालना प्रतिषिद्ध है ;

(ii) ''बाह्य परिधि में आने वाले गाँव'' से अभिप्राय है तथा में शामिल हैं, ऐसे गाँव या क्षेत्र, जिन्हें जनसांख्यिकीय संरचना के अनुसार समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(iii) ''दुधारू पशु'' से अभिप्राय है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी इत्यादि, जिन्हें किसी विधि के अधीन रखना और पालना प्रतिषिद्ध नहीं है।''।

6. मूल अधिनियम की धारा 129 का लोप कर दिया जाएगा।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 129 का लोप।

7. मूल अधिनियम की धारा 130 का लोप कर दिया जाएगा।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 130 का लोप।

8. मूल अधिनियम की धारा 131 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 131क का रखा जाना।

"131क. अनुज्ञप्ति के लिए फीस और समयावधि.— समिति द्वारा फीस के उद्ग्रहण के संबंध में अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई उपविधियों के किसी उपबंध के होते हुए भी, प्रत्येक अनुज्ञप्ति हेतु, ऐसी दर पर और ऐसी अवधि के लिए फीस प्रभारित की जा सकती है, जो राज्य सरकार, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे।"।

9. मूल अधिनियम की धारा 205 में, ''आयुक्त'' शब्द, जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, ''मण्डल आयुक्त'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 205 का संशोधन।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 249 का प्रतिस्थापन।

10. मूल अधिनियम की धारा 249 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"249. उपायुक्त की कार्यवाही की तुरन्त रिपोर्ट करना.– जब उपायुक्त, धारा 246 या धारा 247 या धारा 248 के अधीन कोई आदेश करता है, तो वह मण्डल आयुक्त को ऐसे स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, जो ऐसी नगरपालिका समिति देना चाहे सहित आदेश करने के कारणों के विवरण के साथ उसकी एक प्रति तुरन्त भेजेगा और मण्डल आयुक्त, इसके बाद, आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या विखण्डित कर सकता है :

परन्तु मण्डल आयुक्त, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, यदि अपेक्षित हो, जिला मुख्यालय की नगर परिषद् के किसी संकल्प या आदेश को प्रत्यक्षतः पुष्ट, उपान्तरित या विखण्डित कर सकता है :

परन्तु यह और कि यदि नगरपालिका समिति की दशा में, प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन उपायुक्त का अधीनस्थ कोई अधिकारी धारा 246 या धारा 247 या धारा 248 के अधीन कोई आदेश करता है, तो ऐसे आदेश को पुष्ट करने, का उपान्तरण या विखंडन करने की शक्ति, उपायुक्त में निहित होगी, जो ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व, ऐसी नगरपालिका समिति के स्पष्टीकरण, जो वह देना चाहे, पर विचार करेगा और उपायुक्त इसके बाद आदेश को पुष्ट, उपान्तरित या विखण्डित कर सकता है।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. सरकार की अधिसूचना संख्या 18/163/2020–3क1 दिनांक 07.08.2020 द्वारा सम्बन्धित जिलों में स्थित नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के कार्यों के प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला नगर आयुक्त के 20 पदों (जिला फरीदाबाद जहां कोई नगर परिषद्/नगर पालिका नहीं है तथा जिला चरखी दादरी जिसे जिला भिवानी के साथ सम्मिलित किया गया है, के अतिरिक्त) का सृजन किया गया।

2. यह देखा गया है कि जिला मुख्यालय की अधिकांश नगर परिषदों के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में वृद्धि हुई है तथा तदानुसार इनके कार्यों एवं निगरानी/पर्यवेक्षण का दायरा भी कई गुना बढ़ गया है। इस प्रकार इन नगर परिषदों का सम्पूर्ण प्रभार एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को सौंपे जाने की आवश्यकता है, जो इन नगर परिषदों के कार्यों को कुशलता एवं समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित/निगरानी कर सके। वर्तमान में, नगर परिषद् में कार्यकारी अधिकारी कार्यालय का मुखिया है, जोकि एक कनिष्ठ स्तर का अधिकारी है तथा उसके लिए पालिका कार्यों को कुशलतापूर्वक एवं समयबद्ध तरीके से निपटान करने हेतु जिला प्रशासन के साथ–साथ सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से उचित समन्वय स्थापित करना मुश्किल है।

अतः सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित जिला नगर आयुक्त, जिला मुख्यालय की नगर परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा सम्बन्धित मण्डल आयुक्त को, जिला मुख्यालय की नगर परिषद् के केस में अपीलीय तथा अन्य शक्तियां, जोकि वर्तमान में जिला नगर आयुक्त को निहित हैं, सौंपी जायेंगी।

3. वर्तमान में, "मुख्य कार्यकारी अधिकारी", "जिला नगर आयुक्त" तथा "मण्डल आयुक्त" के पद हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) में परिभाषित नहीं हैं। उक्त अधिनियम की धारा 205 एवं 249 में "मण्डल आयुक्त" को "आयुक्त" शब्द से परिभाषित किया गया है। दूसरी ओर, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (11) में मण्डल आयुक्त स्पष्ट रूप से परिभाषित है। अतः हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में समान प्रावधान किया जाना वांछित है।

4. इसके फलस्वरूप, उक्त अधिनियम, 1973 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला नगर आयुक्त तथा मण्डल आयुक्त के पदों को क्रमशः धारा 2 के खण्ड (5कक), (9कक) एवं (9खख) में परिभाषित करने के लिए संशोधन वांछित हैं। उक्त अधिनियम 1973 की धारा 205 में "आयुक्त" शब्द को "मण्डल आयुक्त" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। आगे, जिला मुख्यालय की नगर परिषद् द्वारा पारित किसी प्रस्ताव व आदेश की मण्डल आयुक्त द्वारा सीधे तौर पर पुष्टि, संशोधन या रद्द करने के लिए अधिनियम, 1973 की धारा 249 को प्रतिस्थापित किया जाना है।

5. निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा पालिकाओं को स्टाम्प शुल्क दिया जा रहा था। वित्त विभाग, हरियाणा के अशा0 क्र0 4/12/2016 दिनांक 16.07.2020 द्वारा सूचित किया गया कि पालिका क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्तियों के पंजीकरण पर दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क, सीधे तौर पर सम्बन्धित पालिकाओं एवं निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा को एक प्रतिशत प्रत्येक को, समान रूप से स्थानांतरित होगा। इस प्रक्रिया को 01.04.2021 से लागू किया गया है।

6. तथापि, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हरियाणा ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 02.02.2022 में उल्लेख किया है कि निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा पालिकाओं एवं निदेशालय को वितरित किये जा रहे स्टाम्प शुल्क की प्रक्रिया उचित नहीं है, क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों अनुसार स्टाम्प शुल्क केवल सम्बन्धित पालिका को दिया जाना है।

इस विसंगति को दूर करने तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुरूप लाने के लिए, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 69 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) में संशोधन की आवश्यकता है।

7. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस के प्रावधान पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के अनुरुप किये हुये हैं। उस दौरान केवल पालिका ही नियामक प्राधिकरण होती थी जबकि आज के समय में कई नियामक प्राधिकरणें जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य इत्यादि ने स्थान ले लिया हैं। अति ज्वलनशील सामग्रियाँ भी अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अलग कानून के अंतर्गत विनियमित हैं। इस प्रकार अन्य वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा विनियम किये जाने वाले उद्योगों को पालिकाओं द्वारा भी लाईसेंस जारी करने का कोई औचित्य नहीं है।हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की सम्बन्धित धाराओं में व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस प्राप्त करने व इनके वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करवाने का प्रावधान हैं। वर्तमान में नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं को अपने सदन की बैठकों में प्रस्ताव पास करके व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस फीस की दर निर्धारित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। इससे राज्य की नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं में व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस फीस का निर्धारण करने में भिन्नतायें हो गई हैं, जो जन–साधारण में भ्रांति उत्पन्न कर रहा हैं।

8. अतः राज्य की सभी नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं में व्यापार/व्यवसायिक लाईसैंस फीस की दर निर्धारित करने में एकरुपता तथा इनकी अनिवार्यता को सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये ऐसे प्रयोजन जो जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के लिए खतरनाक हों या जिससे उत्पात उत्पन्न होने की सम्भावना हो, तक लागू रखने की अति आवश्यकता है। यह नियामक प्राधिकरणों की बहुलता को समाप्त करके शहरी क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों को आसान करेगा। इसके अतिरिक्त, पशुओं एवं पक्षियों को पालिकाओं की सीमा में रखने एवं पालने की पाबंदियों के लिए प्रावधान किया जा रहा है। इस प्रकार हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धाराएं 128, 129 तथा 130 में संशोधन की आवश्यकता है।

9. इसलिये, यह आवश्यक है कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973(1973 का अधिनियम 24) में हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 के द्वारा संशोधन किया जाये।

डॉ कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 8 अगस्त, 2022.

आर. के. नांदल,
सचिव।